बिहार सरकार
निर्वाचन विभाग
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार का कार्यालय
7, सरदार पटेल मार्ग (मैंगल्स रोड), पटना–800015.

ई–मेल
फोन नं0 :– 0612–2217956
फैक्स नं0 :– 0612–2215611
ई–मेल :– **ceo_bihar@eci.gov.in**

प्रेस विज्ञप्ति

दिनांकः 18 अक्टूबर, 2025

बिहार विधानसभा आम निर्वाचन, 2025 के आलोक में की गई जब्ती की कार्रवाई

बिहार विधानसभा आम निर्वाचन, 2025 के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा आदर्श आचार संहिता लागू किए जाने के पश्चात राज्य में प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा व्यापक रूप से निगरानी और गहन जांच अभियान चलाया जा रहा है। मतदाताओं को प्रलोभन देने हेतु नकद, शराब, मादक पदार्थ, बहुमूल्य वस्तुएं अथवा अन्य उपहारों के वितरण पर रोक लगाने के उद्देश्य से की जा रही कार्रवाई के क्रम में बड़ी मात्रा में जब्ती की गई है।

दिनांक 18.10.2025 की प्रमुख जब्ती (रिपोर्टेड राशि लाख रुपये में):

- नकद राशि– ₹5 लाख
- शराब– ₹91.2 लाख
- ड्रग्स/नशीले पदार्थ– ₹32 लाख
- कीमती धातु– ₹6 लाख
- फ्रीबीज/अन्य वस्तुएं– ₹17 लाख
- कुल जब्ती– ₹151 लाख

आदर्श आचार संहिता लागू किए जाने के बाद अब तक की प्रमुख जब्ती (रिपोर्टेड राशि लाख रुपये में):

- नकद राशि– ₹279 लाख
- शराब– ₹2252 लाख
- ड्रग्स/नशीले पदार्थ– ₹1621 लाख
- कीमती धातु– ₹504 लाख
- फ्रीबीज/अन्य वस्तुएं– ₹1188 लाख
- कुल जब्ती– ₹5842 लाख

राज्य में चुनावी प्रक्रिया को निष्पक्ष एवं पारदर्शी बनाए रखने के लिए जिला प्रशासन, पुलिस, आबकारी विभाग, आयकर विभाग, नॉरकोटिक्स ब्यूरो, सीमा शुल्क और फ्लाइंग स्क्वॉड टीमों द्वारा लगातार संयुक्त अभियान चलाया जा रहा है।

भारत निर्वाचन आयोग द्वारा प्रेस नोट निर्गत किये जाने के उपरांत विधि–व्यवस्था संबंधित महत्वपूर्ण बिन्दुः–

- बंध पत्रों का तामिला (बी०एन०एस०एस० की धारा 126,127 एवं 129) अंतर्गत राशि– 2,97,605
- NSA, PITNDPS एवं अन्य अधिनियमों के तहत कुल गिरफ्तारी–752
- गैर–जमानती वारंटो का कुल निष्पादन–12,753
- कुल कार्यरत नाका (चेक पोस्ट)–1,033

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय द्वारा सभी जिलों को निर्देश दिया गया है कि निगरानी को और सशक्त बनाते हुए प्रत्येक शिकायत पर त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करें।

भारत निर्वाचन आयोग का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि मतदाता बिना किसी प्रलोभन या दबाव के स्वतंत्र रूप से अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें।

****